



महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

क्रमांक:एफ.1()संस्था/मदसवि/2026/यथा राजकाज आईडी
कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय की अधिसूचना क्रमांक एफ.1()संस्था/मदसवि/2014/19337 दिनांक 06-09-2014 एवं कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1()संस्था/मदसवि/2023/24927 दिनांक 15-09-2023 के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत श्री विजय प्रकाश शर्मा पुत्र स्व० श्री नन्दराम शर्मा, सेवानिवृत्त वरिष्ठ सहायक निवासी-2/207, पंचशील कॉलोनी, बी-ब्लॉक, माकड़वाली रोड़, अजमेर की सेवाएं महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के सहायक कुलसचिव-सामान्य प्रशासन अनुभाग के अधीन कनिष्ठ सहायक से सम्बन्धित कार्यों का सम्पादन किये जाने हेतु संविदा सेवाओं की निम्नांकित शर्तों पर कनिष्ठ सहायक के रिक्त पद के विरुद्ध लिये जाने हेतु, उनके कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से अधिकतम 03 माह की अवधि के लिये अथवा कनिष्ठ सहायक के पद पर नियमित कनिष्ठ सहायक उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया जाता है:-

1. श्री विजय प्रकाश शर्मा, सेवानिवृत्त वरिष्ठ सहायक, सहायक कुलसचिव-सामान्य प्रशासन अनुभाग के निर्देशानुसार कनिष्ठ सहायक से सम्बन्धित कार्य सम्पादित करेंगे।
 2. सेवानिवृत्त कर्मियों की संविदा सेवा के प्रयोजनार्थ समेकित पारिश्रमिक राशि कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1()संस्था/मदसवि/2023/24927 दिनांक 15-09-2023 के परिशिष्ट-क के अनुसार रू. 18,100/- प्रतिमाह देय होगी।
 3. संविदा सेवाएं लेने के समय सक्षम प्राधिकारी और सेवानिवृत्त कार्मिक के बीच विस्तृत करार हस्ताक्षरित होगा। (संलग्न परिशिष्ट)
 4. संविदा पर कार्यरत कार्मिक एक वर्ष में 12 दिवस की वैतनिक आकस्मिक अवकाश के हकदार होंगे। वे विश्वविद्यालय सेवा नियमों के अधीन उपार्जित अवकाश या किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के हकदार नहीं होंगे। बिना अवकाश के प्रत्येक दिवस की अनुपस्थिति के लिए मासिक पारिश्रमिक का 1/30 वां भाग काटा जायेगा।
 5. ऐसे व्यक्तियों को यात्रा भत्ता समेकित पारिश्रमिक के आधार पर विद्यमान यात्रा भत्ता नियमों के अधीन प्रवर्ग के अनुसार अनुज्ञात होगा।
 6. संविदा की किसी भी शर्त के भंग करने पर या 15 दिवस का पूर्ण नोटिस देकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा समाप्त किये जाने के दायित्व के अधीन है।
 7. संविदा वचनबंध, संविदा की कालावधि के अवसान पर या नियमित रूप से चयनित व्यक्तियों की उपलब्धता पर, जो भी पहले हो, अभिमुक्त होगा।
 8. संविदा के आधार पर लगे हुए व्यक्तियों को गोपनीय या संवेदनशील प्रकृति के कार्य या नकदी संभालने/रोकड़बही को लिखने और रोकड़िया के रूप में कृत्य करने से संबंधित कार्य न्यस्त (Entrust) नहीं किये जायेंगे।
- श्री विजय प्रकाश शर्मा अपनी कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट के साथ नियमानुसार करारनामा एवं विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे और अपनी जवाइनिंग रिपोर्ट कुलसचिव के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

संलग्नक:- परिशिष्ट।

कुलसचिव

क्रमांक:एफ.1()संस्था/मदसवि/2026/यथा राजकाज आई डी
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. ✓ वेब एडमिनिस्ट्रेटर, मदसवि, अजमेर।
2. वित्त नियंत्रक/परीक्षा नियंत्रक, मदसवि, अजमेर।
3. ए० सी० पी०/सहायक कुलसचिव-लेखा एवं वित्त/सामान्य प्रशासन, मदसवि, अजमेर।
4. कुलगुरु सचिवालय, मदसवि, अजमेर।
5. निजी सहायक-कुलसचिव, मदसवि, अजमेर।
6. बिल सहायक-लेखा एवं वित्त अनुभाग, मदसवि, अजमेर।
7. श्री विजय प्रकाश शर्मा पुत्र स्व० श्री नन्दराम शर्मा, सेवानिवृत्त वरिष्ठ सहायक निवासी-2/207, पंचशील कॉलोनी, बी-ब्लॉक, माकड़वाली रोड़, अजमेर (मोबाईल नंबर-9636511925)
8. रक्षित पत्रावली संस्थापन अनुभाग, मदसवि, अजमेर।

कुलसचिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Kailash Chandra Sharma
Designation : Registrar
Date: 2026.04.13 17:11:37 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
21582987
M e-Sign